न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 12/2023

अपीलांट–

1. जेठूसिंह पुत्र हडवन्त सिंह
2. कानसिंह पुत्र हडवन्त सिंह
3. हडाता उर्फ हडवन्त सिंह पुत्र कोजा उर्फ कोजराजसिंह
4. श्रीमती चुतरकंवर पत्नी जेठूसिंह
5. नभा उर्फ नभसिंह पुत्र चन्दनसिंह उर्फ चन्दा
6. कमलसिंह पुत्र चन्दनसिंह उर्फ चन्दा

जाति रावणा राजपूत निवासी रेडाणा–बालेवा तहसील गडरारोड व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 पुरखसिंह पुत्र धुडसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी रामदेव नगर डोला डुंगरी तहसील व जिला बाडमेर

2 तेजमालसिंह पुत्र श्री जेतमालसिंह

3 श्रीमती दरिया कंवर पत्नी जेतमालसिंह

4 बनेसिंह पुत्र सोमसिंह के कायम मुकाम

4.1 शंकरसिंह पुत्र बनेसिंह

5 श्रीमती मोरूकंवर पुत्री सोमसिंह

6 श्रीमती कमलाकंवर पुत्री सोमसिंह

7 श्रीमती मोरकंवर पत्नी शंकरसिंह जति रावणा राजपुत निवासी रेडाणा बालेवा तहसील गडरारोड जिला बाडमेर

8 चुतराराम पुत्र तुलछाराम जाति सुथार निवासी बीजराड तहसील चौहटन हाल बालेवा

9 हमीरसिंह पुत्र गेनसिंह जाति राजपुत निवासी रेडाणा तहसील गडरारोड जिला बाडमेर

10 बलवीरसिंह पुत्र अगरसिंह

11 गोरधनसिंह पुत्र अगरसिंह

12 किशनसिंह पुत्र तनसिंह जाति राजपूत निवासी कपुरडी तहसील बाडमेर ग्रामीण [illegible] बाडमेर

13 [illegible] तहसीलदार गडरारोड

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:36:56 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक भू.अ./2016/08 दिनांक 12.05.2016 जो तहसीलदार गडरारोड द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री अर्जुनराम बोसिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री कुन्दनसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 एवं श्री हिन्दूराम भाटी, अधिवक्त रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5, 8 से 10 एवं 12 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 22.07.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गडरारोड के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक भू.अ./2016/08 दिनांक 12.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि ग्राम बालेबा तहसील गडरारोड़ व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नंबर 604 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 736/605 रकबा 51 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 738/605 रकबा 51 बीघा मौजा के संयुक्त खातेदार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 12 ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.05.2016 को तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक भू.अ./2016/08 दिनांक 12.05.2016 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.07.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:36:56 IST
Reason: SelfAttested

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर [illegible] रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत अपील के विचारण के दौरान रेस्पो[illegible] द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपील के तथ्यों की ताईद की गई।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक भू.अ. / 2016 / 08 दिनांक 12.05.2016 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलकर्ता एवं उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा गलत बंटवाडे के आदेश की आड में अपने खेत का सीमांकन करवाया एवं अपीलकर्ता के कब्जे एवं काश्त में दखलादांजी करना प्रारंभ किया तथा अपीलकर्ता की रहवासी ढाणियां उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा अपने कब्जे में होना बताया व अपीलकर्ता के हिस्से की भूमि सरहद ग्राम रेडाणा में ऑवरलेपिंग में जाने की स्थिति मे अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त के बारे में सम्पूर्ण जानकारी हुई तब दिनांक 15.06.2023 को आवश्यक नकलें और मौके की बंटवाडे की नकल प्राप्त करने पर ही बंटवाडे के गलत होने की जानकारी हुई। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 12 की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील के तथ्यों की ताईद की गई तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के हिस्सों का विभाजन मौका पर कब्जा–काश्त अनुसार पुनः किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि ग्राम बालेबा तहसील गडरारोड़ व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नंबर 604 रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 736 / 605 रकबा 51 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 738 / 605 रकबा 51 बीघा मौजा के संयुक्त खातेदार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 12 ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.05.2016 को तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व [illegible] बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का [illegible] गडरारोड़ द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का [illegible] आदेश क्रमांक भू.अ. / 2016 / 08 दिनांक 12.05.2016 पारित किया गया। इस पर तहसीलदार गडरारोड द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:36:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक भू.अ./2016/08 दिनांक 12.05.2016 पारित किया गया। अपीलांट की अपील एवं रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब अनुसार इस विभाजन इकरारनामा में भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नहीं करवाई गई। इस प्रकार तहसीलदार गडरारोड द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। पक्षकारान ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब व अपील का समर्थन करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा काश्त एवं हिस्सा रकबा अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गडरारोड द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक भू.अ./2016/08 दिनांक 12.05.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार गडरारोड़ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:36:56 IST
Reason: SelfAttested